(परिपत्र दो–1 की कण्डिका 6 देखिये)

# राजस्व आदेश पत्र (रेव्हेन्यू ऑर्डर शीट)

अ.वि.अ. के न्यायालय में मामला कमांक 202501074200031 वर्ष 24–25

विषयः– वृक्ष कटाई। मामले की श्रेणी ........ अ–62

ग्रामः– जूना बिलासपुर बन्दोबस्त कमांक ........ पटवारी कमांक ...... तहसील बिलासपुर

कलेक्टर का कमांक ........ सन् 20 अनुविभागीय अधिकारी ........

तहसीलदार कमांक ........ सन् 20 नायब तहसीलदार ........

| आदेश अथवा कार्यवाही की तारीख और स्थान | आवेदक शुभ सिंह ठाकुर पिता संतसिंह, निवासी मुंगेली रोड ग्रीन पार्क कॉलोनी के बगल में मंगला, तहसील व जिला–बिलासपुर (छ.ग.) | जहां आवश्यक हो पक्षों अथवा वकीलों के हस्ताक्षर आदेशों का पालन करने वाले लिपिक के संक्षिप्त हस्ताक्षर और ऐसे पालन की तारीख |
|---|---|---|
| 20.03.2025 | आवेदक शुभ सिंह ठाकुर पिता संतसिंह निवासी मुंगेली रोड ग्रीन पार्क कॉलोनी के बगल में मंगला तहसील व जिला–बिलासपुर द्वारा पेड़ काटने की अनुमति चाहा गया है।<br>– उक्त संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (वन) तथा नायब तहसीलदार बिलासपुर से जांच प्रतिवेदन लिया गया।<br>– प्राप्त जांच प्रतिवेदन अनुसार सर्किल फारेस्ट ऑफिसर बिलासपुर द्वारा जांच कर प्रतिवेदित किया गया है कि मौके पर 1 नग पलाश का वृक्ष और 1 नग नीम, कुल 02 नगर वृक्ष स्थित है, जिसकी गोलाई 150 से. मी. एवं 150 से.मी. जो राजस्व भूमि में स्थित है तथा वृक्षो को काटे जाने पर विभाग को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।<br>– प्रकरण दर्ज हो।<br>– अतएव अभिलेख स्थल निरीक्षण के आधार पर उक्त वृक्षों को काटे जाने पर संहिता के किन्हीं उपबंधो का उल्लंघन नहीं हो रहा है। अतः वृक्ष कटाई के आवेदन पर अनुमति अभिव्यक्ति की जाती है।<br>– अनुमति आदेश पृथक से निर्धारित प्रपत्र "ड" में जारी हो।<br>– प्रकरण नस्तीबद्व होकर दा.द. हो।<br>मा.दि. 20.11.2024<br><br>अनुविभागीय अधिकारी (रा.)<br>बिलासपुर, जिला–बिलासपुर (छ.ग.)<br>अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बिलासपुर (छ.ग.) | |

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बिलासपुर, जिला बिलासपुर, छ.ग.

प्ररूप–ड.

(नियम 7 (2) देखिए)

रा.प्र.क.202502074200034/अ–62/2024–2025,

मौजा–मंगला, तहसील व जिला बिलासपुर,छ.ग.

बिलासपुर/दिनॉक– 19.03.2025

क्रमॉक/ 197 /वाचक–3/2025

प्रति,

शुभसिंह ठाकुर पिता संतसिंह,
निवासी–मुगेली रोड ग्रीन पार्क कॉलोनी के बगल में,
मंगला, तहसील व जिला बिलासपुर, छ.ग.

विषयः– प्राकृतिक रूप से उगे वृक्ष की कटाई हेतु अनुमति।

विषयॉतर्गत आपका आवेदन दिनॉक 12.12.2024 को इस कार्यालय में प्राप्त हुआ। राजस्व विभाग एवं वन विभाग के संयुक्त निरीक्षण हेतु ज्ञापन दिनॉक 12.12.2024 को जारी किया गया। संयुक्त निरीक्षण प्रतिवेदन दिनॉक 19.12.2024 को प्राप्त हुआ। आवेदन में उल्लेखित तथ्यों का सत्यापन किया गया। स्थल पर कटाई हेतु आवेदित वृक्षों की स्थिति निम्नानुसार हैः–

1–पलास –01 नग, 150 से.मी.

2–नीम –01 नग, 150 से.मी.

अभिलेख एवं स्थल निरीक्षण के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि, ख.नं. 1495/3 रकबा 0.0160 हे., मौजा–मंगला, पहनं. 35, तहसील बिलासपुर स्थित् वृक्ष जिनकी प्रजाति पलास 01 नग एवं नीम 01 नग है, को काटे जाने पर संहिता के किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन नहीं हो रहा है। अतः वृक्ष कटाई के आवेदन पर अनुमति अभिव्यक्त की जाती है।

छत्तीसगढ़ वनउपज (व्यापार विनिमय) अधिनियम, 1969 (क. 9 सन् 1969) एवं भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) के अंतर्गत निर्मित छत्तीसगढ़ परिवहन (वन उपज) नियम, 2001 का पालन नहीं किये जाने पर यह अनुमति शुन्य होगी।

यह अनुमति आवेदन दिनॉक से एक कलेण्डर वर्ष तक मान्य होगी।

अनुविभागीय अधिकारी (रा.),
बिलासपुर,छ.ग.

पृ.क्रमॉक/198/वाचक–3/2025

बिलासपुर/दिनॉक 19.03.2025

प्रतिलिपिः–

1– कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छ.ग. की ओर से सूचनार्थ संप्रेषित।

2– वन मण्डलाधिकारी, वन मण्डल, बिलासपुर, छ.ग. को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

3– नायब तहसीलदार, बिलासपुर को वृक्ष कटाई पश्चात् राजस्व अभिलेख अद्यतन करने हेतु।

अनुविभागीय अधिकारी (रा.),
बिलासपुर,छ.ग.

Scanned with OKEN Scanner